

यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है और आपका तत्काल ध्यानाकर्षण आवश्यक है

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का एक उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय - कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

सीआईएन - L40101DL1969GOI005095 ई-मेल investorcell@recl.nic.in वेबसाइट www.recindia.com

दूरभाष:- 24361320, 43091527, 24365161 फैक्स - 24368553

दिनांक:

प्रिय बॉण्डधारक (धारकों),

आरईसी दीर्घावधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के बाई बैक के लिए सहमति (केवल कंपनी के बॉण्डधारकों के लिए निजी परिचालन हेतु)

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान जारी सीरीज 1 इंफ्रा. बॉण्ड

बाई बैक सुविधा - रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. ("कंपनी") द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2011 के सूचना ज्ञापन (एतदपश्चात इसे "सूचना ज्ञापन" के रूप में कहा गया है) में उल्लिखित जारी करने की शर्तों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2010-11 के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीएफ के तहत लाभों के साथ कंपनी के अप्रतिभूतित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के रूप में प्रत्येक 5000/- रूपए के अंकित मूल्य के जारी दीर्घावधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों के पात्र धारकों को बाई बैक की सुविधा का प्रस्ताव दिया जाता है।

यह ऐसे बॉण्डधारकों के लिए उपलब्ध बाई बैक सुविधा के संदर्भ में है जिन्होंने सूचना ज्ञापन में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों पर सीरीज 1 बॉण्ड के लिए सदस्यता ली थी। बाई बैक सुविधा की संक्षिप्त निबंधन एवं शर्तों नीचे दी गई हैं:

बॉण्ड सीरीज/स्कीम (दिनांक 12.01.2011 के सूचना ज्ञापन के अनुसार)	बाई बैक की तारीख	सीरीज - 1 (ब्याज की आवृत्ति - वार्षिक)
आरईसी दीर्घावधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड सीरीज 1 2010-11	आबंटन की तारीख अर्थात् 31.03.2011 से 5/6/7/8/9 वर्ष	5000/- रूपए प्रति बॉण्ड तथा अंतिम ब्याज भुगतान की तारीख से बाई बैक की तारीख तक परिकल्पित उपाजित ब्याज

आरईसी दीर्घावधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड में अपना निवेश नोट करें जो इस प्रकार है:

फोलियो नं./ डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी	सीरीज	निवेश किए बांडों की संख्या	डीमैट/वास्तविक रूप में धारित	आवेदन फार्म में विनिर्दिष्ट बाई बैक का वर्ष (5/6/7/8/9 वर्ष)
				उल्लेख नहीं किया गया

क) **सूचना ज्ञापन के अनुसार बाई बैक की प्रक्रिया** - जिन निवेशकों ने बाई बैक सुविधा का विकल्प दिया है और बाई बैक सुविधा के साथ बॉण्ड आबंटित किए गए हैं और 5/6/7/8/9 वर्षों के बाद इस सुविधा से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें कंपनी को आवेदन फार्म में अपनी सहमति देनी होगी। तथापि, कोई भी बॉण्डधारक यदि अपने विकल्प को बदलना चाहते हैं तो उन्हें वर्ष 2016 से शुरू और 2020 तक 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा।

कृपया यह नोट करें कि आपके आवेदन फार्म के अनुसार, आपने बाई बैक सुविधा के लिए विकल्प दिया है, लेकिन बाई बैक वर्ष अर्थात् 5/6/7/8/9 वर्ष का उल्लेख नहीं दिया है, जिसके बाद कि आप बाई बैक सुविधा का विकल्प देना चाहते हैं। तदनुसार, आरईसी का आपसे अनुरोध है कि दिनांक 31.01.2016 को अथवा उससे पूर्व बाई बैक वर्ष का उल्लेख करते हुए अपनी सहमति प्रेषित करें। यदि आपसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो बांडों को 9 वर्ष पूरा होने पर अर्थात् 31.03.2020 को भुगतान किया जाएगा।

कृपया यह नोट करें कि यदि बॉण्डधारक आबंटन की तारीख से 5/6/7/8/9 वर्षों के बाद बाई बैक सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक हैं तो इश्यू के रजिस्ट्रार मैसर्स बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. को मूल बॉण्ड प्रमाण-पत्र के साथ-साथ सूचना पत्र को विधिवत भरकर भेजें। बॉण्डधारकों की सुविधा के लिए, कृपया इस पत्र के साथ मैसर्स बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. को संबोधित एक मुद्रित "बाई बैक वर्ष के संबंध में सूचना पत्र" संलग्न किया जा रहा है, जिसके द्वारा आप बाई बैक वर्ष अर्थात् 5/6/7/8/9 वर्षों की सूचना दे सकते हैं। सूचना पत्र को विधिवत भरकर दिनांक 31.01.2016 को अथवा उससे पूर्व अपराह्न 05.30 बजे तक रजिस्ट्रार मैसर्स बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि., यूनिट - आरईसी लि. इंफ्रा बांड्स बाई बैक ऑफर सीरीज 1, बीटल हाउस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062 को भेजा जाए।

ख) **मूल बॉण्ड प्रमाण पत्र अभ्यर्पित करना** - यदि आपके पास वास्तविक रूप में बॉण्ड है तो कृपया यह नोट करें कि बाई बैक राशि मूल बॉण्ड प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पित किए बिना दिनांक 31.03.2020 को भुगतान की जाएगी। यदि बॉण्डधारक आबंटन की मानी गई तारीख से 5/6/7/8 वर्षों के बाई बैक वर्ष की सूचना देना चाहता है तो बॉण्डधारक को समेकित बॉण्ड प्रमाण-पत्र के पीछे विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके केवल धारक अथवा सभी संयुक्त धारकों द्वारा पंजीकृत डाक से पावती के साथ रजिस्ट्रार मैसर्स बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि., यूनिट - आरईसी लि. इंफ्रा बांड्स बाई बैक ऑफर सीरीज 1, बीटल हाउस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062 को दिनांक 31.01.2016 को अथवा उससे पूर्व अपराह्न 05.30 बजे तक भेजा जाए।

तथापि, यदि आपके पास डीमैट रूप में बॉण्ड हैं तो बॉण्ड प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी, लेकिन आपको बाई बैक वर्ष अर्थात् 5/6/7/8 वर्षों के संबंध में सूचना दिनांक 31.01.2016 को अथवा उससे पूर्व अपराह्न 05.30 बजे तक देनी होगी अन्यथा इसे आबंटन की मानी गई तारीख से 9 वर्षों के रूप में मान लिया जाएगा।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

बाईबैंक वर्ष के संबंध में सूचना सलाह

प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि
31 जनवरी, 2019, 5:30 बजे अपराह्न
तिथि - 31.03.2019

सेवा में,

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.,
यूनिट: यूनिट - आरईसी लि. इफ्रा बांड्स बाईबैंक ऑफर सीरीज1
बीटल हाउस, तीसरा तल,
99 मदानगौर, एलएससी के पीछे,
नई दिल्ली - 110062

संपर्क सूचना:
ई-मेल आईडी - recbonds1@gmail.com,
investorcell@recl.nic.in
दूरभाष संख्या: +91-011-29961281-83

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: यथा संशोधित आय कर अधिनियम, 1961, ("बॉण्ड") की धारा 80सीसीएफ के तहत लाभ वाली प्रतिभूति रहित, विमोचन योग्य, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की प्रकृति में स्वरुल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. ("कंपनी" अथवा "जारीकर्ता") द्वारा जारी प्रत्येक 5000 के अंकित मूल्य के "दीर्घावधि अवसरचना बॉण्ड"।

मेरे/हमारे पास कंपनी के बॉण्ड हैं और निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वापसी खरीद की सुविधा के संबंध में अपनी/हमारी प्राथमिकता दर्शाना चाहेंगे:

(क) **वास्तविक स्वरूप में रखे गए बांडों** के मामले में (यदि बॉण्ड अप्रत्यक्षीकृत स्वरूप में रखे गए हैं, तो कृपया लागू नहीं विनिर्दिष्ट करें)

क्रम सं.	विवरण	सीरीज 1
1.	पंजीकृत फोलियो सं.	
2.	धारित बांडों की संख्या	
3.	प्रमाणपत्र सं.	
4.	धारित बांडों की विशिष्ट संख्या	से: तक:
5.	आबंटन की मानी गई तारीख से 8/9 वर्षों के बाद वापसी खरीद के लिए सहमति (कृपया वर्ष विनिर्दिष्ट करें)	----- वर्ष

महत्वपूर्ण: कृपया इस सूचना पत्र में विधिवत उन्मुक्त मूल बॉण्ड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(ख) **अप्रत्यक्षीकृत स्वरूप में रखे गए बांडों** के मामले में (यदि बॉण्ड वास्तविक रूप में रखे गए हैं तो कृपया लागू नहीं विनिर्दिष्ट करें)

क्रम सं.	विवरण	सीरीज 1
1.	लाभग्राही डीमेट खाता सं.	
2.	धारित बांडों की संख्या	
3.	आरईसी के डीमेट खाता संख्या में बाजार से बाहर व्यापार के माध्यम से बांडों का अंतरण	आईएन300476-43000127
4.	आबंटन की मानी गई तारीख से 8/9 वर्षों के बाद वापसी खरीद के लिए सहमति	

महत्वपूर्ण: कृपया इस सूचना पत्र के साथ अपने डीपी द्वारा विधिवत स्वीकृत "अंतरण पर्ची" प्रस्तुत करें।

बांडों की निबंधन एवं शर्तों के खंड 11.2 के अनुसार हम निम्नलिखित रूप में दर्शाए गए अनुसार वापसी खरीद का वर्ष सूचित करते हैं:

विवरण	पूर्ण/प्रथम बॉण्डधारक	द्वितीय बॉण्डधारक	तृतीय बॉण्डधारक
हस्ताक्षर (कंपनी में रिकार्ड किए गए नमूने के अनुसार)			
बॉण्डधारक का नाम			

टिप्पणी: 1) यदि उन बॉण्डधारकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है जिन्होंने बांडों के आवेदन पत्र में वापसी खरीद वर्ष विनिर्दिष्ट नहीं किया है तो धनराशि आबंटन की मानी गई तारीख अर्थात 31.03.2020 से 09 वर्षों के बाद उन्मुक्त की जाएगी।

2) भुगतान की तारीख को धनराशि सीधे जमा करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि इस सूचना सलाह के साथ रद्द किया गया बैंक प्रस्तुत किया जाए। इससे निवेशक को जमा होने में किसी विलंब से बचने में सहायता मिलेगी (डीमेट स्वरूप में बॉण्ड धारण करने वाले बॉण्डधारकों के लिए

अपेक्षित नहीं)। डीमेट स्वरूप में बॉण्ड धारण करने वाले बॉण्डधारक अपेक्षित होने पर अपने जमाकर्ता प्रतिभागी के साथ बैंक अनिवार्यताएं अद्यतन करें।

3) टीडीएस आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार काटा जाएगा। बॉण्डधारकों को टीडीएस न काटने के लिए प्रपत्र 15जी अथवा 15एच प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि बॉण्ड डीमेट स्वरूप में हैं तो टीडीएस काटा जाएगा।